7

राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

क्रमांकः एफ.3(3) जांच / पराविं / फर्जी शौक्षणिक योग्यता / 15 / 1719 जयपुर, दिनांक 15.6.17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषय :– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 सपठित धारा 39 के तहत चुनाव पूर्व एवं पश्चात् की निर्योग्यताओं के प्रकरणों में सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा आरोपित पंचायती राज संस्था के जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध आरोप विरचित करने की सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको पूर्व में विभागीय पत्र 1919 दिनांक 27.05.15 के द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता से चुनाव संबंधी पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों की गिरफ्तारियों की सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया था।

इसके उपरान्त विभागीय परिपत्र दिनांक 03.01.17 के द्वारा ऐसे प्रकरणों में सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा आरोपित पंचायती राज संस्था के जन प्रतिनिधियों को आरोप विरचित किये जाने के एक माह के अन्दर–अन्दर आवश्यक रूप से संबंधित न्यायालय से आरोपत विरचित किये जाने के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय से प्राप्त कर विभाग को भिजवाने हेतु लिखा गया था।

परन्तु यह देखने में आया है कि इस प्रकार की सूचना समय पर प्रेषित नहीं किये जाने के कारण दोषियों के विरूद्ध समय पर समुचित कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

अतः कृपया एक नोडल अधिकारी इस बाबत नियुक्त किया जाकर नोडल अधिकारी का नाम, मोबाईल नं. से विभाग को 3 दिवस में अवगत करावें तथा सुनिश्चित करावें कि आरोप विरचन हो जाने / निर्णय होने अथवा प्रकरण निस्तारण हो जाने के एक माह में सूचना मय प्रमाणित प्रति विभाग को प्राप्त हो जाए। संलग्न प्रपत्र ''अ'' में सूचना 7 दिवस में **E-Mail I.D. rajpr_dsenq@rediffmail.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

शासन सचिव एवं आयुक्त

जिला ————————

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क्र. सं.	आरोपित जन प्रतिनिधि का नाम	पद मय ग्राम पंचायत /पंचायत समिति/ जिला परिषद	एफ.आई. आर. नम्बर थाना क्षेत्र व दर्ज दिनांक	अनुसंधान की धाराऍ	प्रकरण की वर्तमान स्थिति (जैर अनुसंधान/ चालान पेश)	माननीय न्यायालय का पद नाम मय केस नम्बर	आरोपी के गिरफ्तार होने का विवरण (यदि गिरफ्तार हुआ हो तो)	प्रकरण में आरोप विरचन होने/ अंतिम निर्णय होने पर मय दिनांक विवरण अंकित करें (प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित करें)	आरोप विरचन/अंतिम निर्णय की सूचना विभाग को प्रेषित करने की दिनांक	यदि प्रकरण में कोई अपील/ रिव्यू/रिविजन/ रिट दर्ज हो तो विवरण अंकित करें (स्थगन आदेश यदि जारी हुआ हो तो अंकन करें)	यदि प्रकरण में चुनाव याचिका भी दर्ज हो तो विवरण सहित अवगत करावें	निलम्बन आदेश (यदि जारी हुआ हो तो पालना की दिनांक से अवगत करावें)	पद से अयोग्य/ सदस्यता समाप्ति बाबत पालना की स्थिति	विशेष विवरण

गोस्वारा :

जिले में पंचायती राज विभाग के वर्तमान जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध दर्ज चुनाव पूर्व/ पश्चात् की अयोग्यता के प्रकरण	
कुल दर्ज एफ.आई.आर.	
कुल आरोप विरचन	
कुल निर्णित प्रकरण	
निलम्बन आदेश की पालना से शेष प्रकरण	